प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री यतीन्द्र सिंह, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

---

1. रिट याचिका (सिविल) क्र. 912/2012

याचिकाकर्ता: मोहम्मद असलम चौहान और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

उपस्थित

श्री जितेंद्र गुप्ता, अधिवक्ता, याचिकाकर्तागण की ओर से ।

श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज्य की ओर से।

---

2. रिट याचिका (सिविल) क्र. 947/2013

याचिकाकर्ता: परजीना खातून

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएँ

उपस्थित

श्री आशीष सुराना, अधिवक्ता, याचिकाकर्तागण की ओर से ।

श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज्य की ओर से।

आदेश

21 नवंबर **2013**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. इन रिट याचिकाओं में शामिल एकमात्र प्रश्न छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परीक्षण अधिनियम, 2004 (2004-अधिनियम) की धारा 6 की उप-धाराओं (2) और (3) {6(2) और 6(3)} की वैधता के संबंध में है।

तथ्य

2. याचिकाकर्ता परिवहन का व्यवसाय करते हैं। उनके वाहनों को 2004 अधिनियम की धारा 6(2) के तहत जब्त कर लिया गया है और उसे नियुक्त करने के लिए उनके आवेदन संबंधित दंडाधिकारी द्वारा 2004 अधिनियम की धारा 6(3) के तहत खारिज कर दिए गए हैं।

- रिट याचिका (सिविल)-912/2012 में पांच याचिकाकर्ता हैं। याचिकाकर्ता-1 का वाहन क्रमांक सीछ-07-एलजे-3786, अर्थात् सीछ-07-एलजे-3786, दिनांक 14.04.2012 को कृषक पशुओं का परिवहन कर रहा था। इसे उसी दिन जब्त कर लिया गया। इसके बाद, वाहन को नियुक्त के लिए उनका आवेदन दिनांक 25.04.2012 को अस्वीकार कर दिया गया;
- रिट याचिका (सिविल)-947/2013 में, याचिकाकर्ता वाहन सीछ-15-एसी - 095 की पंजीकृत स्वामी है। दिनांक 01.05.2013 को इस वाहन में कृषि पशु ले जाए जा रहे थे। उसी दिन वाहन को ज़ब्त कर लिया गया। इसके बाद, वाहन को नियुक्त के लिए दिया गया उनका आवेदन दिनांक 06.05.2013 को अस्वीकार कर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं ने 2004 के अधिनियम की धारा 6(2) और 6(3) की वैधता को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिकाएँ दायर की हैं।

निर्धारण के लिए बिंदु

4. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना है। निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैं:

(i) क्या आक्षेपित उपधाराएँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) का उल्लंघन करती हैं?

(ii) क्या आक्षेपित उपधाराएँ संविधान के अनुच्छेद 254 के विरुद्ध हैं, क्योंकि वे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960-अधिनियम) और दंड प्रक्रिया संहिता (द.प्र.सं.) की धारा 451 के प्रावधानों के साथ असंगत हैं?

(iii) क्या आक्षेपित उपधाराएँ संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करती हैं?

पहला बिंदु: अनुचित नहीं

पक्षकारों की तर्क

5. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने चिंतामन राव और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एआईआर 1951एससी 118) (चिंतामन मामला), अहमदाबाद नगर निगम बनाम जन मोहम्मद उस्मान भाई (एआईआर1986 एससी 1205) (उस्मानभाई मामला) और एन.के. बाजपेयी बनाम भारत संघ (एआईआर2012 एससी 1310) (बाजपेयी मामला) का अवलंब लेते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि:

- याचिकाकर्ता वाहनों के स्वामी हैं और वे उनका उपयोग केवल परिवहन व्यवसाय के लिए कर रहे हैं।
- कृषक पशुओं को वध के लिए नहीं ले जाया जा रहा था, या कम से कम याचिकाकर्ताओं को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें 2004 के अधिनियम का उल्लंघन करते हुए ले जाया जा रहा है।
- याचिकाकर्ताओं के वाहनों को छह महीने तक जारी न करने के कारण, उनका पूरा व्यवसाय ठप हो गया है, और यह एक अनुचित प्रतिषेध है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि:

कृषक पशुओं को बिक्री के लिए ले जाया जाता है या बाजार से खरीदने के बाद वापस लौटा दिया जाता है; उन्हें चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भी ले जाया जाता है या जब उन्हें किसी अन्य उद्देश्य से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है; उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कोई औचित्य नहीं है; और यदि उन्हें किसी अन्य उद्देश्य से ले जाया जाता है, तो वह वध के लिए होता है।

- 2004 के अधिनियम की धारा 6(1) केवल वध के प्रयोजन से परिवहन को प्रतिबंधित करती है, न कि किसी अन्य प्रयोजन से। 2004के अधिनियम की धारा 6(2) और 6(3) केवल तभी लागू होती हैं, जब 2004 के अधिनियम की धारा 6(1) लागू हो।

- यदि 2004 अधिनियम की धारा 6(1) लागू नहीं होती है, तो वाहन को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के तहत किसी भी समय नियुक्त जा सकता है;
- यह याचिकाकर्ताओं का दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके वाहनों का उपयोग कृषक पशुओं को वध के लिए ले जाने हेतु नहीं किया जा रहा है;
- 2004 के अधिनियम की धारा 6(2) और 6(3) के अंतर्गत निहित प्रतिषेध अनुचित नहीं हैं।

विचार

7. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत सभी नागरिकों को कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत राज्य को आम जनता के हित (जनहित) में उचित प्रतिषेध लगाने वाला कानून बनाने की अनुमति है।

8. याचिकाकर्ता परिवहन का व्यवसाय कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या 2004 अधिनियम की धारा 6(2) और 6(3) परिवहन का व्यवसाय करने पर अनुचित प्रतिषेध लगाती हैं या नहीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. संविधान के भाग-IV का शीर्षक 'राज्य की नीति के निदेशक तत्व' है। इस भाग के अनुच्छेद 48 का शीर्षक 'कृषि और पशुपालन का संगठन' है। इसमें यह प्रावधान है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टिया, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके प्रतिषेध कदम उठाएगा।

10. 2004 का अधिनियम इसकी अनुसूची में परिभाषित कृषक पशुओं पर लागू होता है। इसमें सभी आयु वर्ग की गायें, गायों और भैंसों के बछड़े, बैल, बछड़े, नर और मादा भैंसें शामिल हैं। 2004 के अधिनियम में परिभाषित कृषि पशु संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं और राज्य को इन पशुओं के वध पर प्रतिषेध लगाने के लिए कदम उठाने होंगे।

11. जैसा कि प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, 2004 का अधिनियम जनहित में और सांप्रदायिक सद्भाव एवं शांति बनाए रखने के लिए कृषक पशुओं के वध पर प्रतिषेध लगाने हेतु अधिनियमित किया गया है; यह संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसरण में है।

12. 2004 का अधिनियम धारा 4 से 6 के माध्यम से अपने उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करता है:

(क) धारा 4 का शीर्षक 'कृषक पशुओं के वध पर प्रतिषेध' है। यह किसी भी कृषक पशु के वध पर प्रतिषेध लगाती है;

(ख) धारा 5 का शीर्षक 'कृषक पशु मांस रखने पर प्रतिषेध' है। यह किसी भी कृषक पशु के मांस को कब्जे में रखने पर प्रतिषेध लगाती है;

(ग) धारा 6 (नीचे देखें) का शीर्षक 'वध के लिए गौ वंश के परिवहन पर प्रतिषेध' है।

- धारा 6(1) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में या इस ज्ञान के साथ कि उसका वध किया जाएगा या किए जाने की संभावना है, किसी भी कृषि पशु को राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी स्थान पर उसके वध के उद्देश्य से नहीं बेचेगा, न ही परिवहन करेगा, न ही परिवहन की पेशकश करेगा, न ही परिवहन करवाएगा;
- धारा 6(2) धारा 6(1) के उल्लंघन में उपयोग किए गए वाहन को ज़ब्त करने का प्रावधान करती है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

[1]संशोधित धारा 6 इस प्रकार है:

6. कृषि पशुओं के वध के लिए परिवहन पर प्रतिबंध। - (1) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में या इस ज्ञान के साथ कि उसका वध किया जाएगा या किए जाने की संभावना है, किसी भी कृषि पशु को राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के भीतर या राज्य के बाहर किसी स्थान पर उसके वध के उद्देश्य से नहीं बेचेगा, न ही परिवहन करेगा, न ही परिवहन की पेशकश करेगा, न ही परिवहन करवाएगा।

(2) जब भी कोई व्यक्ति उपधारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में अनुसूची में निर्दिष्ट किसी कृषि पशु का परिवहन करता है या करवाता है, तो ऐसे पशु को ऐसे कृषि पशुओं के साथ परिवहन करने में प्रयुक्त वाहन या कोई भी परिवहन साधन राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किए गए किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जब्त किया जा सकता है।

(3) उपधारा (2) के तहत जब्त किए गए वाहन या परिवहन साधन को न्यायालय के आदेश द्वारा जमानत या जमानत पर जब्ती की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले या न्यायालय के अंतिम निर्णय तक, जो भी पहले हो, नहीं छोड़ा जाएगा और ऐसा वाहन मुकदमे की समाप्ति पर जब्ती के लिए भी उत्तरदायी होगा।

- धारा 6(3) वाहन को छह महीने के भीतर, या विचरण समाप्त होने से पहले— इनमें से जो भी पहले हो—नियुक्त करने पर प्रतिषेध लगाती है, और साथ ही यह भी उल्लेख करती है कि वह वाहन अधिग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा।

याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत मामले

13. आगे विचार करने से पूर्व, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत मामलों पर विचार करना उचित होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चिंतामन मामला

14. चिंतामन मामले में, सीपी एवं बरार बीड़ी निर्माण विनियमन (कृषि प्रयोजन) अधिनियम (1948 का 64) के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। इस अधिनियम के तहत, कृषि ऋतु के दौरान बीड़ी के निर्माण पर प्रतिषेध लगाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि कृषि ऋतु के दौरान पर्याप्त श्रम आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

15. सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त संविधि के इस प्रावधान को निरस्त कर दिया क्योंकि इसमें बाहर से श्रम आयात करने और कृषि के लिए अनुपयुक्त दुर्बल और विकलांग व्यक्तियों को काम पर रखने पर भी प्रतिषेध लगाई गई थी। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि बीड़ी के निर्माण के घंटों को विनियमित करके संविधि के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है।

16. प्रस्तुत मामला चिंतामन मामले के समान नहीं है। इसमें कोई पूर्ण प्रतिषेध नहीं है, बल्कि वाहन को कुछ समय के लिए मुक्त करने पर प्रतिषेध है।

उस्मानभाई मामला

17. उस्मानभाई मामले में, अहमदाबाद नगर निगम ने सात दिनों के लिए पशु वध पर प्रतिषेध लगाया था। यह प्रतिषेध स्थायी नहीं था; केवल आंशिक था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा।

मामला यहाँ भी समान है। वाहन को नियुक्त पर स्थायी रूप से प्रतिषेध नहीं है, बल्कि केवल सीमित अवधि के लिए है।

बाजपेयी मामला

18. बाजपेयी मामले में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर अपीलीय अधिकरण (अधिकरण) के एक सेवानिवृत्त सदस्य को अधिकरण के समक्ष पेश होने से प्रतिषेधित कर दिया गया था। इस मामले में प्रतिषेध पूर्ण था, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा।

19. हमारी राय में, याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत मामले उनके लिए सहायक नहीं हैं।

धारा 6(2)- अनुचित नहीं

20. 2004 अधिनियम की धारा 6(2) पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है। किसी भी स्थिति में, यदि किसी वाहन का उपयोग धारा 6(1) के उल्लंघन में किया जा रहा है, तो उस वाहन की ज़ब्ती को अनुचित नहीं कहा जा सकता। हालांकि, याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति 2004 अधिनियम की धारा 6(3) पर है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

धारा 6(3) - अनुचित नहीं

21. प्रस्तुत मामले में, वाहनों को ज़ब्त नहीं किया गया है; तथापि, वाहनों को मुक्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है, क्योंकि 2004 के अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार, न तो छह महीने की अवधि समाप्त हुई है और न ही विचारण समाप्त हुआ है।

22. संविधान का अनुच्छेद 19(6) राज्य को सार्वजनिक हित में उचित प्रतिषेध लगाने की अनुमति देता है। यह देखना होता है कि क्या लगाया गया प्रतिषेध सार्वजनिक हित में है अथवा नहीं।

23. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वे लक्ष्य हैं जिन्हें राज्य को प्राप्त करना है; वे ही अंतिम उद्देश्य हैं। मौलिक अधिकार उन्हें प्राप्त करने के साधन हैं। संविधान की व्याख्या करते समय इन दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। इसी कारण राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए विधि को तर्कसंगत माना गया है।

24. 2004-अधिनियम की धारा 11 का शीर्षक 'अभियुक्त पर प्रमाण का भार' है। इसमें यह प्रावधान है कि यह प्रमाणित करने का दायित्व अभियुक्त पर है कि कृषक पशुओं का परिवहन 2004-अधिनियम की धारा 4 से 6 के प्रावधानों के उल्लंघन में नहीं किया जा रहा था।

25. यदि कोई परिवहनकर्ता प्रथम दृष्ट्या दंडाधिकारी को यह संतुष्ट करने में सफल हो जाता है कि कृषक पशुओं का परिवहन वध के लिए नहीं किया जा रहा था, तो धारा 6(1) लागू नहीं होगी और वाहन को किसी भी समय मुक्त किया जा सकता है। इसे देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि यह कोई अनुचित प्रतिषेध है। किसी भी स्थिति में, छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद या विचारण समाप्त होने के बाद (जो भी पहले हो), इस पर कोई प्रतिषेध नहीं है।

26. हमारी राय में, 2004-अधिनियम की धारा 6(2) और 6(3) अनुचित प्रतिषेध नहीं लगाती हैं और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) का उल्लंघन नहीं करती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दूसरा बिंदु: असंगत नहीं

27. याचिकाकर्ताओं के आधिवक्ता का कहना है कि आक्षेपित उपधाराएँ संविधान के अनुच्छेद 254 के विरुद्ध हैं क्योंकि वे इसके असंगत हैं।

- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम), जिसमें वाहन को नियुक्त के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है;
- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451, जिसमें भी ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

1960 के अधिनियम के असंगत नहीं

28. याचिकाकर्ताओं के आधिवक्ता 1960 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं बता पाए हैं, जो कृषक पशुओं को ले जाने वाले वाहनों को नियुक्त की व्यवस्था करता हो। 1960 के अधिनियम में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में, धारा 6(2) और 6(3) को 1960 के अधिनियम के असंगत नहीं माना जा सकता।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4(2) के तहत अनुमत

29. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 का शीर्षक है 'कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने के दौरान संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश'। यह विचारण लंबित रहने के दौरान संपत्ति को मुक्त करने का प्रावधान करती है।

30. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451, संपत्ति या वाहन को मुक्त करने के आवेदन पर विचार करने से पहले, समय की कोई पाबंदी नहीं लगाती है। इसकी व्याख्या करते हुए, न्यायालयों ने यह भी अधिनिर्णीत किया है कि वाहनों को मुक्त करने के प्रश्न पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए।

31. 2004 अधिनियम की धारा 6(3) के तहत, वाहन को छह महीने या विचरण की समाप्ति (जो भी पहले हो) से पहले नहीं छोड़ा जा सकता। परिणामस्वरूप, धारा 6(3) के तहत वाहन को नियुक्त के लिए आवेदन पर शीघ्रता से विचार नहीं किया जा सकता।

32. 2004 अधिनियम की धारा 6(3) केवल उपरोक्त अवधि के लिए ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 पर प्रभावी है। हालाँकि, इस अवधि के बाद, नियुक्ति करने के लिए दिए गए आवेदन पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के अनुसार ही कार्रवाई की जानी है। इसी कारण से, यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के साथ असंगत है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करना अनुमेय है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 का शीर्षक 'भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण' है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी अपराधों को अन्वेषण, जाँच, विचारण और अन्य कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

34. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 की उप-धारा (2) (4(2)) में यह प्रावधान है कि किसी अन्य विधि के अधीन सह अपराधों का अन्वेषण, जाँच, विचारण और अन्य कार्यवाही भी दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किन्तु; ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जाँच, विचारण और अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमित करने वाली प्रवृत की अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

35. 2004 के अधिनियम की धारा 6(1) के तहत किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध नहीं है। ऐसे अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4(2) के तहत

कार्यवाही की जाएगी। इनकी जाँच और इनका विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि 2004 के अधिनियम द्वारा विनियमित है।

36. 2004 के अधिनियम में वाहन को नियुक्त के लिए एक अलग प्रावधान किया गया है। वाहन को केवल छह महीने की अवधि समाप्त होने या विचरण की समाप्ति (जो भी पहले हो) के बाद ही छोड़ा जा सकता है। यही प्रावधान लागू होता है, न कि धारा 451 दंड प्रक्रिया संहिता। इस विसंगति को धारा 4(2) दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा संरक्षित किया गया है।

37. हमारी राय में, यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 254 के अंतर्गत नहीं आता है।

तीसरा बिंदु: अनुच्छेद 301 का उल्लंघन नहीं करता

38. भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 का शीर्षक 'व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता' है। यह उपबंध करता है कि भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

39. संविधान का अनुच्छेद 301 निषेध पर प्रतिषेध लगाता है, किंतु अंतरराज्यीय अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या आवागमन के विनियमन को निषिद्ध नहीं करता। डी.डी. बसु की भारत के संक्षिप्त संविधान के 14वें संस्करण, 2009 के पृष्ठ 1835 पर इस विषय पर संक्षेप में निम्नलिखित विवरण दिया गया है:

> अंतरराज्यीय या अन्तर्राज्यीय व्यापार या आवागमन के "विनियमन" को "निषेध" से अलग समझा जाना चाहिए; पहला वैध है, लेकिन दूसरे को उचित प्रतिषेध नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार,
>
> (क) कोई ऐसा नियम जो निर्धारित घंटों के बीच वन-उत्पादों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिषेध लगाता है, वह वन-उत्पादों के परिवहन के अधिकार पर निषेधात्मक है।
>
> (ख) इसके विपरीत, ऐसा नियम जो सार्वजनिक हानि को रोकने या सार्वजनिक हित की पूर्ति के लिए कुछ निर्दिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे परिवहन की अनुमति देता है, उदाहरण के लिए

> अनुच्छेद 51ए(छ) के तहत निर्देश के अनुसरण में, अनुच्छेद 19(1)(छ) या अनुच्छेद 304 के तहत एक उचित प्रतिषेध होगा। इस प्रकार, वृक्षों की अवैध कटाई को इस प्रकार विनियमित किया जा सकता है कि किसी निर्दिष्ट अधिकारी से परमिट प्राप्त किए बिना किसी भी वन उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाना चाहिए।

40. प्रस्तुत मामले में, व्यवसाय करने पर पूर्ण प्रतिषेध नहीं है। एक परिवाहक अपना व्यवसाय हमेशा जारी रख सकता है, लेकिन वह जानवरों को वध के लिए ले जाने जैसा कोई अवैध कार्य नहीं कर सकता; और यदि वह ऐसा करता है, तो उसके वाहन को छह महीने तक या विचरण की समाप्ति तक—इनमें से जो भी पहले हो—तब तक छोड़ा नहीं जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. यह कोई निषेध नहीं, बल्कि एक ऐसा विनियमन है जो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत अनुमेय है। हमारी राय में, आक्षेपित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन नहीं करते हैं।

---

[2]मैसूर राज्य बनाम संजीवैया एच. एआईआर 1967 एससी 1189 (1191): 1967 (2) एससीआर 361 [(इसके विपरीत रामनाथन के. बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 1985 एससी 660 (पैरा 24-25): (1985) 2 एससीसिविल 116; तमिलनाडु राज्य बनाम संजीता ट्रेडिंग कंपनी, एआईआर 1993 एससी 237 (पैरा 17-18): (1993) 1 एससीसिविल 236-आपातकाल द्वारा उचित ठहराया गया।]

[3]मैसूर राज्य बनाम संजीवैया एच. एआईआर 1967 एससी 1189 (1191): 1967 (2) एससीआर 361 [(इसके विपरीत रामनाथन के. बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 1985 एससी 660 (पैरा 24-25): (1985) 2 एससीसिविल 116; तमिलनाडु राज्य बनाम संजीता ट्रेडिंग कंपनी, एआईआर 1993 एससी 237 (पैरा 17-18): (1993) 1 एससीसिविल 236-आपातकाल द्वारा उचित ठहराया गया।]

कुछ स्पष्टीकरण

42.. 2004 के अधिनियम की धारा 6(3) में, विचारण की समाप्ति पर वाहनों की ज़ब्ती का भी प्रावधान है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा धारा 6(3) के इस भाग की वैधता और इसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए कुछ अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए।

43. वर्तमान मामले में, किसी भी वाहन को ज़ब्त नहीं किया गया है; इसी कारण से हमने इसकी वैधता पर विचार नहीं किया है। यदि किसी वाहन को ज़ब्त किया जाता है और उस प्रावधान को चुनौती दी जाती है, तो इस प्रश्न का निर्णय उस समय किया जा सकता है।

44. दोनों ही मामलों में, संबंधित दण्डाधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों को पढ़ने से यह संकेत नहीं मिलता कि इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि प्रथम दृष्टया कृषक पशुओं का परिवहन 2004 अधिनियम की धारा 6(1) के उल्लंघन में किया जा रहा था या नहीं। हालांकि, हमने इसकी वैधता पर विचार नहीं किया है। इसे दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उचित कार्यवाही में चुनौती दी जा सकती है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

[4]मैसूर राज्य बनाम संजीविया एच. एआईआर 1967 एससी 1189 (1191): 1967 (2) एससीआर 361 [(रामनाथन के. बनाम टी.एन. राज्य, एआईआर 1985 एससी 660 (पैरा 24-25): (1985) 2 एससीसिविल 116; टी.एन. राज्य बनाम संजीता ट्रेडिंग कंपनी, एआईआर 1993 एससी 237 (पैरा 17-18): (1993) 1 एससीसिविल 236-आपातकाल द्वारा उचित।]

[5]अरामाचिन एवं लाक्री विक्रेता संघ बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1992 राज। 7 (पैरा 10,14,17): 1991 (1) राज. एलडब्ल्यू 487

[6]अरामाचिन एवं लाक्री विक्रेता संघ बनाम राजस्थान राज्य, आकाशवाणी 1992 राज. 7 (पैरा 10,14,17): 1991 (1) राज. एलडब्ल्यू 487

45. उपरोक्त के अलावा, विचारण अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन छह महीने की अवधि बीत चुकी है। याचिकाकर्ताओं के लिए यह विकल्प हमेशा खुला है कि वे अपने वाहनों को छुड़वाने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष नया आवेदन प्रस्तुत करें, क्योंकि अब इस मामले पर दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 451 के तहत विचार किया जाएगा। यदि ऐसे आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उन पर दंड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

46. हमारे निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

(क) छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 अधिनियम, 2004 की धारा 6(2) और 6(3) केवल तभी लागू होती हैं, जब उप-धारा 6(1) लागू हो। किसी वाहन को छह महीने की अवधि के भीतर या विचारण की समाप्ति तक (जो भी पहले हो) मुक्त न करने की सीमा केवल तभी लागू होती है, जब धारा 6(1) लागू हो। यदि दण्डाधिकारी प्रथम दृष्ट्या इस मत के हैं कि कृषक पशुओं को वध के लिए परिवहन नहीं किया जा रहा था, तो धारा 6(2) और 6(3) में निहित प्रतिषेध लागू नहीं होते हैं;

(ख) किसी भी स्थिति में, वाहन को न नियुक्त की सीमा, छह महीने की अवधि समाप्त होने या विचारण समाप्त होने के बाद (जो भी पहले हो) लागू नहीं होगी; और ऐसी स्थिति में, वाहन को नियुक्त पर विचार दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत किया जाएगा।

(ग) छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 अधिनियम, 2004 की धारा 6(2) और 6(3) वैध हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

47. हमारे निष्कर्षों को देखते हुए, रिट याचिकाओं का निस्तारण उपर्युक्त व्यक्त किये गए विचार और 'कुछ स्पष्टीकरण' शीर्षक के अंतर्गत उल्लिखित स्पष्टीकरण के साथ किया जाता है।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेछ स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Uday Shankar Dewangan